

# फाईनल डिक्ती मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली  
इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

## उनवान

हटीला उर्फ हटीलाराम पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी खेडीघाटम तहसील  
श्रीमहावीर जी जिला करौली राज \_\_\_\_\_वादी

बनाम


1. छुट्टन उर्फ छुट्टनलाल पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली
2. रामकेश पुत्र छुट्टन जाति मीना निवासी खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली।
3. लाखन सिंह पुत्र छुट्टन जाति मीना निवासी खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली।
4. हरिओम पुत्र छुट्टन जाति मीना निवासी खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली।
5. स्टेट बैंक आफ इण्डिया (एसबीआई) तामील जरिये शाखा प्रबन्धक एसबीआई हिण्डौन सिटी जिला करौली
6. तहसीलदारजी तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान-प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा,


मुकदमा नं0 268 / 2023

एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे हाजिरी श्री संजय कुमार शर्मा एडवोकेट मिन जानिव मुदई रुबरु श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट मिन जानिव मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा में तहसीलदार श्रीमहावीरजी से


  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन (करौली)

प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर फाईनल डिक्री दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1006/1 रकबा 0.1350 है0, 1007/1 रकबा 0.1550 है0, 1008/1 रकबा 0.1700 है0, 1130/1148/1 रकबा 0.115 है0, 1032/1 रकबा 0.2250 है0, 1050/1 रकबा 0.1400 है0, 1051/1 रकबा 0.3250 है0, 789/1 रकबा 0.1150 है0, 1049/1 रकबा 0.2900 है0, 741/1 रकबा 0.050 है0, 742/1 रकबा 0.055 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 1.7750 है0 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी का वादी हटीला पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं0 1006/2 रकबा 0.1350 है0, 1007/2 रकबा 0.1550 है0, 1008/2 रकबा 0.1700 है0, 1130/1148/2 रकबा 0.115 है0, 1032/2 रकबा 0.2250 है0, 1050/2 रकबा 0.1400 है0, 1051/2 रकबा 0.3250 है0, 789/2 रकबा 0.1150 है0, 1049/2 रकबा 0.2900 है0, 741/2 रकबा 0.050 है0, 742/2 रकबा 0.055 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 1.7750 है0 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी का प्रतिवादी नं0 1 छुट्टन पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 1030 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी मुताविक राजस्व रिकार्ड खातेदारों के हिस्से में बदस्तूर रहेगा। रहन मुर्तहिन के इन्द्राज मुताविक राजस्व रिकार्ड पक्षकारान के हिस्से में आयी आराजीयात पर बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार श्रीमहावीरजी से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 1006/1 रकबा 0.1350 है0, 1007/1 रकबा 0.1550 है0, 1008/1 रकबा 0.1700 है0, 1130/1148/1 रकबा 0.115 है0, 1032/1 रकबा 0.2250 है0, 1050/1 रकबा 0.1400 है0, 1051/1 रकबा 0.3250 है0, 789/1 रकबा 0.1150 है0, 1049/1 रकबा 0.2900 है0, 741/1 रकबा 0.050 है0, 742/1 रकबा 0.055 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 1.7750 है0 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत, मदाखलत नहीं करें, वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग-उपभोग करने देवे,

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 हिण्डौन (करीली)

वादी को बेदखल नहीं करें। प्रतिवादीगण उक्त भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करावें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे कि जिससे वादी के हक हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़े। तहसीलदार श्रीमहावीरजी को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार श्रीमहावीरजी को पालनार्थ भेजी जावे।

बसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.01.2026 को यह डिक्री जारी की गई।

  
( हेमराज गुर्जर ) 15/1/26  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन जिला करौली  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन (करौली)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 268 / 2023

तारीख रजू:- 19.12.2023

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर

R.A.S.

हटीला उर्फ हटीलाराम पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी खेडीघाटम तहसील  
श्रीमहावीर जी जिला करौली राज —————वादी

बनाम

1. छुट्टन उर्फ छुट्टनलाल पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली
2. रामकेश पुत्र छुट्टन जाति मीना निवासी खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली।
3. लाखन सिंह पुत्र छुट्टन जाति मीना निवासी खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली।
4. हरिओम पुत्र छुट्टन जाति मीना निवासी खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली।
5. स्टेट बैंक आफ इण्डिया (एसबीआई) तामील जरिये शाखा प्रबन्धक एसबीआई हिण्डौन सिटी जिला करौली
6. तहसीलदारजी तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान-प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा आराजीयात

एवं स्थायी निषेधाज्ञा


उपस्थिति:- 1. श्री संजय कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी

2. श्री सीताराम गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1 ता 4

निर्णय

दिनांक:-15.01.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 24.03.2025 को दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार श्रीमहावीरजी को बंटवारा मौका कमीशनर 1000

  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन (करौली)

रूपये फीस पर नियुक्त कर निर्देश दिये जाते हैं कि आराजी खसरा नं० 1049, 741, 742, 1006, 1007, 1008, 1030, 1030/1148, 1032, 1050 1051, 789 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली में वादीगण एवं प्रतिवादी नं० 1 का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की मौजूदगी में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में हिस्से व कब्जे अनुसार अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार करें। बटवारा स्कीम दो प्रतियों में मय नक्शा ट्रेस के न्यायालय में प्रस्तुत की जावे। नक्शा ट्रेस में अलग-अलग रंगों से वादी व प्रतिवादी का हिस्सा अंकित करें।

मुताबिक आदेश तहसीलदार (भू-अभि०) श्रीमहावीरजी के पत्रांक भू अ./2025/730 दिनांक 08.07.2025 से उक्त उनवानी प्रकरण में बंटवारा स्कीम मय ट्रेस न्यायालय में प्राप्त हो चुकी है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वादी का दावा मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील प्रतिवादीगण ने बंटवारा स्कीम पर आपत्ति जाहिर की, जो दिनांक 08.01.2026 को खारिज कर दी गई।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीमहावीरजी से प्राप्त बंटवारा स्कीम के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1006/1 रकबा 0.1350 है०, 1007/1 रकबा 0.1550 है०, 1008/1 रकबा 0.1700 है०, 1130/1148/1 रकबा 0.115 है०, 1032/1 रकबा 0.2250 है०, 1050/1 रकबा 0.1400 है०, 1051/1 रकबा 0.3250 है०, 789/1 रकबा 0.1150 है०, 1049/1 रकबा 0.2900 है०, 741/1 रकबा 0.050 है०, 742/1 रकबा 0.055 है० कुल किता 11 कुल रकबा 1.7750 है० वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी वादी हटीला पुत्र रामसहाय जाति मीना सा०देह खातेदार राहिन एस.बी.जे. शाखा हिण्डौन (खसरा नम्बर 741/1, 742/1 को छोडकर रहन है) के हिस्से में आया है तथा खसरा नं० 1006/2, रकबा 0.1350 है०, 1007/2 रकबा 0.1550 है०, 1008/2 रकबा

  
पखाण्ड अधिकारी  
हिण्डौन (करौली)

0.1700 है0, 1130/1148/2 रकबा 0.115 है0, 1032/2 रकबा 0.2250 है0, 1050/2 रकबा 0.1400 है0, 1051/2 रकबा 0.3250 है0, 789/2 रकबा 0.1150 है0, 1049/2 रकबा 0.2900 है0, 741/2 रकबा 0.050 है0, 742/2 रकबा 0.055 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 1.7750 है0 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी प्रतिवादी नं0 1 छुटन पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी राहिन एस.बी.जे. शाखा हिण्डौन (खसरा नम्बर 741/2, 742/2 को छोडकर रहन है) के हिस्से में आया है तथा खसरा नम्बर 1030 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी वादी हटीला पुत्र रामसहाय जाति मीना हि0 1/2 सा0देह खातेदार राहिन एस.बी.जे. शाखा हिण्डौन, प्रतिवादी नं0 1 छुटन पुत्र रामसहाय जाति मीना हि0 1/2 निवासी खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी राहिन एस.बी.जे. शाखा हिण्डौन के हिस्से में बदस्तूर रहेगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि तहसीलदार श्रीमहावीरजी से प्राप्त बंटवारा स्कीम मुताविक प्राथमिक डिकी एवं पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त एवं अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर तैयार किया जाना सही प्रतीत होता है तथा मुताविक बंटवारा स्कीम वादी अपने दावा को फाईनल डिकी कराना चाहते हैं। इसलिए वादी का दावा खिलाफ प्रतिवादीगण मुताविक बंटवारा स्कीम फाईनल डिकी योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा को तहसीलदार श्रीमहावीरजी से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर फाईनल डिकी किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1006/1 रकबा 0.1350 है0, 1007/1 रकबा 0.1550 है0, 1008/1 रकबा 0.1700 है0, 1130/1148/1 रकबा 0.115 है0, 1032/1 रकबा 0.2250 है0, 1050/1 रकबा 0.1400 है0, 1051/1 रकबा 0.3250 है0, 789/1 रकबा 0.1150 है0, 1049/1 रकबा 0.2900 है0, 741/1 रकबा 0.050 है0, 742/1 रकबा 0.055 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 1.7750 है0 वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी का वादी हटीला पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी


  
उपस्थित अधिकारी  
हिण्डौन (करीली)

को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं० 1006/2 रकबा 0.1350 है०, 1007/2 रकबा 0.1550 है०, 1008/2 रकबा 0.1700 है०, 1130/1148/2 रकबा 0.115 है०, 1032/2 रकबा 0.2250 है०, 1050/2 रकबा 0.1400 है०, 1051/2 रकबा 0.3250 है०, 789/2 रकबा 0.1150 है०, 1049/2 रकबा 0.2900 है०, 741/2 रकबा 0.050 है०, 742/2 रकबा 0.055 है० कुल किता 11 कुल रकबा 1.7750 है० वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी का प्रतिवादी नं० 1 छुट्टन पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 1030 रकबा 0.06 है० वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी मुताविक राजस्व रिकार्ड खातेदारों के हिस्से में बदस्तूर रहेगा। रहन मुर्तहिन के इन्द्राज मुताविक राजस्व रिकार्ड पक्षकारान के हिस्से में आयी आराजीयात पर बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार श्रीमहावीरजी से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 1006/1 रकबा 0.1350 है०, 1007/1 रकबा 0.1550 है०, 1008/1 रकबा 0.1700 है०, 1130/1148/1 रकबा 0.115 है०, 1032/1 रकबा 0.2250 है०, 1050/1 रकबा 0.1400 है०, 1051/1 रकबा 0.3250 है०, 789/1 रकबा 0.1150 है०, 1049/1 रकबा 0.2900 है०, 741/1 रकबा 0.050 है०, 742/1 रकबा 0.055 है० कुल किता 11 कुल रकबा 1.7750 है० वाके ग्राम खेडीघाटम तहसील श्रीमहावीरजी में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत, मदाखलत नहीं करें, वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग-उपभोग करने देवे, वादी को बेदखल नहीं करें। प्रतिवादीगण उक्त भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करावें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे कि जिससे वादी के हक हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़े। तहसीलदार श्रीमहावीरजी को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार श्रीमहावीरजी को पालनार्थ भेजी जावे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
हिन्दौन (करीली)

उपरोक्तानुसार फाईनल पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(हेमराज गुर्जर) 15/1/26  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन जिला करौली  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन (करौली)